Gurukul International Multidisciplinary Research Journal (GIMRJ)*with* International Impact Factor 8.249
Peer Reviewed Journal
https://doi.org/10.69758/GIMRJ/2412IVVXIIP0005

e-ISSN No. 2394-8426
DEC-2024
Issue–IV, Volume–XII

भारत में विचाराधीन कैदियों की स्थिति

डॉ.अरविन्द कुमार वर्मा
सह आचार्य –समाजशस्त्र
श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय,सीकर (राज.)।

सार संक्षेप – विपथगामी व्यवहार करने पर व्यक्ति को समाज में इच्छा विरूद्ध अलग करने हेतु कैद में रखा जाता है। भारतीय में कैदियों को तीन श्रेणियों अपराधी, हिरासत में लिए गये व विचाराधीन में विभजित किया गया है। इन कैदियों में विचाराधीन कैदी आज सम्पूर्ण वैश्विक समाज के लिए महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। विचाराधीन कैदी पर किसी अपराध का आरोप है परन्तु उसे दोषी नहीं ठहराया गया है। मुकदमे की प्रतीक्षा करते हुए ये न्यायिक हिरासत में होते हैं तथा मामले की सुनवाई की प्रतीक्षा कर रहा है।
प्रस्तुत शोध पत्र में विचाराधीन कैदी कौन है? इनकी समस्याएँ क्या हैं? इनके लिए क्या–क्या कानूनी प्रावधान हैं ? तथा इनका क्या भविष्य है? आदि बिन्दुओं पर प्रकाश छाला गया है। इस हेतु अनेक पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं, सेमिनारों के सारांशों आदि का प्रयुक्त किया गया है।

संकेत शब्द – विपथगामी व्यवहार, विचाराधीन कैदी, कारागार, ट्रांसजेंडर, पुनर्वास, CRPC आदि।

प्रस्तावना – समाज में विपथगामी व्यवहार करने पर व्यक्ति को इच्छा विरूद्ध समाज से पृथक करने हेतु कारागार में रखना कैद कहलाता है तथा पृथक रखा गया व्यक्ति कैदी कहलाता है। भारतीय कारागारों में बन्द कैदियों को तीन श्रेणियों अपराधी, हिरासत में लिए गये व विचाराधीन में विभजित किया गया है। इन कैदियों में विचाराधीन कैदी आज सम्पूर्ण वैश्विक समाज के लिए महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। विचाराधीन कैदी वह व्यक्ति होता है जिसे किसी अपराध के आरोप में न्यायालय ने हिरासत में रखा है और वह मामले की सुनवाई की प्रतीक्षा कर रहा है अर्थात ऐसा आरोपी व्यक्ति जिसे न्यायालय द्वारा दोषी करार नहीं दिया गया है और उसके विरुद्ध चल रहा मामला न्यायालय में लंबित है। 78वें विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एक विचाराधीन कैदी में ऐसा व्यक्ति भी शामिल है जो जाँच के दौरान न्यायिक हिरासत में रिमांड पर है। विचाराधीन कैदी पर किसी अपराध का आरोप है परन्तु उसे दोषी नहीं ठहराया गया है। मुकदमे की प्रतीक्षा करते हुए ये न्यायिक हिरासत में होते हैं तथा दोष सिद्ध होने तक निर्दोष माने जाने के बावजूद इनमें से कई व्यक्ति लम्बी कानूनी प्रक्रियाओं और जमानत का धन व्यय वहन करने की असमर्थता के कारण वर्षों तक अपना जीवन कारागार में बिताते हैं।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 पहली बार अपराध करने वाले ऐसे अपराधियों को रिहा करने की अनुमति देती है जिन्होंने अपनी अधिकतम सजा का एक तिहाई हिस्सा काट लिया है तथा अन्य विचाराधीन कैदी जिन्होंने अपनी अधिकतम सजा का आधा हिस्सा काट लिया है। यही मानक दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की पहले से लागू धारा 436 ए के तहत प्रदान किया गया था। राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया, 2022 के अनुसार भारतीय जेलों में कैदियों की अधिभोग दर 131 प्रतिशत है, जिसमें 4,36,266 की क्षमता के मुकाबले 5,73,220 कैदी हैं। 4,34,302 ऐसे विचाराधीन कैदी हैं जिनके विरुद्ध मामले अभी भी लंबित हैं, जो भारत के सभी कैदियों का लगभग 75.8 प्रतिशत है।

Gurukul International Multidisciplinary Research Journal (GIMRJ)*with* International Impact Factor 8.249
Peer Reviewed Journal
https://doi.org/10.69758/GIMRJ/2412IVVXIIP0005

e-ISSN No. 2394-8426
DEC-2024
Issue–IV, Volume–XII

इस सन्दर्भ में अन्य तथ्य –

5,73,220 कुल कैदी	4,34,302 विचाराधीन	4 में से 3 कैदी (75.8 प्रतिशत) विचाराधीन कैदी थे
59.7 प्रतिशत विचाराधीन कैदी छह राज्यों–उत्तर प्रदेश (21.7प्रतिशत), बिहार (13.2 प्रतिशत), महाराष्ट्र (7.6 प्रतिशत),मध्य प्रदेश (6.2 प्रतिशत), पंजाब (5.6 प्रतिशत) और पश्चिम बंगाल (5.4 प्रतिशत) से थे।	19.3 प्रतिशत विचाराधीन कैदी मुस्लिम थे, 4.7 प्रतिशत सिख थे, जो जनसंख्या में समुदायों की संबंधित हिस्सेदारी(14.2 प्रतिशत) से अधिक और 2011 की जनगणना में 1.7 प्रतिशत थे	
	20.9 प्रतिशत विचाराधीन कैदियों में से एस.सी., 9.3 प्रतिशत एस.टी. के थे, जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी क्रमशः16.6 प्रतिशत और 8.6 प्रतिशत है (2011 की जनगणना)	
65.2 प्रतिशत विचाराधीन कैदियों में से या तो निरक्षर थे (26.2 प्रतिशत), या उन्होंने अधिकतम कक्षा 10 तक शिक्षा प्राप्त की थी (32.2 प्रतिशत)	14.6 प्रतिशत विचाराधीन कैदियों ने 1–2 साल, 7.8 प्रतिशत ने 2–3 साल, 6 प्रतिशत ने 3–4 साल और 2.6 प्रतिशत ने पांच साल से अधिक समय बिताया	
	2017 के बाद से भारत में विचाराधीन कैदियों की संख्या में 40. 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जब उनकी जनसंख्या 3,08,718 थी	

स्रोत– एनसीआरबी, 31दिसम्बर,2022 तक

भारत में कारागार सांख्यिकी, 2021 रिकॉर्ड के अनुसार कैदियों की संख्या[2] –

- वर्ष 2021 में विचाराधीन कैदियों की संख्या 4,27,165 थी जबकि वर्ष 2020 में यह संख्या 3,71,848 थी, इस एक वर्ष की अवधि के दौरान ही इनकी संख्या में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- 31 दिसम्बर, 2021 तक 4,27,165 विचाराधीन कैदियों में से ज़िला कारागारों में 51.4 प्रतिशत, केंद्रीय कारागारों में 36.2 प्रतिशत और उप–कारागारों में 10.4 प्रतिशत विचाराधीन कैदी थे।
- वर्ष 2021 के अंत तक देश में विचाराधीन कैदियों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में 21.2 प्रतिशत, बिहार में 13.9 प्रतिशत और महाराष्ट्र में 7.4 प्रतिशत रही है।
- 4,27,165 विचाराधीन कैदियों में से केवल 53 सिविल कैदी थे। 5,54,034 कैदियों में से 68 प्रतिशत कैदी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं।

विचाराधीन कैदियों की समस्याएँ –

विचाराधीन कैदी जिसे किसी अपराध के आरोप में न्यायालय ने हिरासत में रखा है और वह मामले की सुनवाई की प्रतीक्षा कर रहा है, ऐसे आरोपी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा दोषी करार नहीं दिया गया है और उसके विरुद्ध चल रहा मामला न्यायालय में लंबित है, बावजूद इसके इन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

- कारागार में विचाराधीन कैदियों को कई वर्षों तक उपेक्षित रखा जाता है और कुछ मामलों में तो यह स्थिति उनके द्वारा किये गए अपराध के लिये निर्धारित अधिकतम सज़ा से भी अधिक हो जाती है।
- आर्थिक स्थिति के खराब होते व अन्य संसाधनों के अभाव में कई कैदियों को जमानत नहीं मिल पाती है।

- समाज अपराधी व विचाराधीन कैदियों में अन्तर नहीं कर पाने के कारण इनके बरी होने पर भी इन्हें अपराधी मानता है। परिणामस्वरूप इनका समाज की मुख्य धारा में मिल पाना कठिन होता है तथा इनके अपराधी बनने की सम्भावनाऐं अधिक हो जाती है।
- कारागार में विचाराधीन कैदियों को दुर्व्यवहार एवं हिंसा जैसे शारीरिक दुर्व्यवहार, यातना, सामूहिक हिंसा आदि का शिकार होना पड़ता है।
- अधिक समय तक जेल में समय व्यतीत करने पर परिस्थितिजन्य और युवा अपराधी अक्सर पूर्ण रूप से अपराधी बन जाते हैं।
- परिवार में अर्थ अर्जन करने वाले सदस्य की अनुपस्थिति में सम्पूर्ण परिवार को अत्यधिक निर्धनता, अभावग्रस्तता का सामना करना पड़ता है। इस विकट परिस्थिति के कारण बच्चों में भटकाव व विपथगामी व्यवहार में संलग्न होना बेहद ही सामान्य है।
- अधिकांश कैदियों को सुरक्षित और स्वस्थ परिस्थितियों में रखने के लिए भीड–भाड़ और पर्याप्त जगह की कमी की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

इन समस्याओं के अतिरिक्त इन्हें अनेक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। कई गरीब और संसाधनहीन विचाराधीन कैदी हैं जिन्हें असंगत रूप से गिरफ्तार किया जा रहा है, नियमित रूप से जेलों में न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है, ऐसे कैदी या तो आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण या बाहर सामाजिक कलंक के डर से जमानत लेने और सुरक्षित जीवनयापन करने में असमर्थ हैं। जेल अक्सर लोगों के लिये खतरनाक स्थान होती हैं। यहाँ हिंसा और विवाद सामान्य बात हैं। भारत में आमतौर पर जेल अधिकारियों द्वारा शारीरिक दुर्व्यवहार और न्यायेतर यातनाएँ देखी जाती हैं। जेल प्राधिकरण के किसी भी आचरण को अपराध नहीं माना जाता है, जिससे प्राधिकरण लापरवाही से कार्य करता है जिसके परिणामस्वरूप कैदियों की मौत तक हो सकती है।

अधिकांशः जेलों में भीड़भाड़ और कैदियों को सुरक्षित एवं स्वस्थ परिस्थितियों में रखने के लिये पर्याप्त स्थान की कमी एक विकट समस्या है। यह तंग और घुटन भरा वातावरण व्यक्ति के लिए अस्वास्थ्यकर परिस्थितियां पैदा करता है, परिणामस्वरूप इनमें तपेदिक, हैजा, प्लेग जैसे संक्रामक और संचारी रोग आसानी से फैल जाते हैं।

कई बार कैदी का परिवार गरीबी में जीवन जीने को मजबूर हो जाता है और बच्चे भटक जाते हैं। परिवार को सामाजिक कलंक और सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़ता है, जिससे परिस्थितियाँ परिवार को अपराध और दूसरों द्वारा शोषण की ओर प्रेरित करती हैं। विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अक्सर इस स्थिति का फायदा उठाकर शेष परिवार के सदस्यों का पूरी तरह से शोषण करता है। यह चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, जबरन वेश्यावृत्ति आदि का रूप भी ले सकता है।

भारत में जेल सुधार से सम्बन्धित प्रावधान हैं –

वर्तमान में कारागार अधिनियम, 1894 कारागारों से सम्बन्धित नियमों और विनियमों को नियंत्रित करता है। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता–पूर्व युग के कारागार अधिनियम 1894, जो मुख्य रूप से अपराधियों को हिरासत में रखने और अनुशासन लागू करने पर केंद्रित था को प्रतिस्थापित करने हेतु एक व्यापक आदर्श कारागार अधिनियम, 2023 को अंतिम रूप दिया है। इस नवीनतम अधिनियम का उद्देश्य जेलों को सुधारात्मक संस्थान बनाकर कैदियों को कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में समाज में वापस लाने और पुनर्वास करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह अधिनियम जेल प्रबन्धन में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर मार्गदर्शन प्रदान करके मौजूदा जेल अधिनियम में कमियों को दूर करने का उद्देश्य भी रखता है।

नवीन आदर्श कारागार अधिनियम की विशेषताएँ –

- सुरक्षा, मूल्यांकन, कैदियों को अलग–अलग रखने और वैयक्तिक सजा योजना की व्यवस्था।
- कैदियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा में मिलाने पर बल।
- खूंखार और आदतन अपराधियों की आपराधिक गतिविधियों से समाज को बचाने का प्रावधान।
- जेलों में प्रतिबन्धित वस्तुओं यथा मोबाइल फोन आदि का प्रयोग करने वाले बंदियों एवं जेल कर्मचारियों के लिये दंड का प्रावधान।
- कारागार प्रशासन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्रावधान
- शिकायत निवारण, कारागार विकास बोर्ड, बंदियों के प्रति व्यवहार में परिवर्तन, महिला कैदियों, ट्रांसजेंडर आदि हेतु पृथक व्यवस्था।
- अदालतों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जेलों में वैज्ञानिक और तकनीकी पहल।
- उच्च सुरक्षा जेल, ओपन और सेमी ओपन जेल आदि की स्थापना एवं प्रबन्धन सम्बन्धी प्रावधान।
- कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करने, अच्छे आचरण को बढ़ावा देने के लिये पैरोल, समय से पहले रिहाई आदि सम्बन्धी कार्य।

विचाराधीन कैदियों से सम्बन्धित कानून –

राज्य सूची का विषय – 'कारागार अथवा कारागार में बंद व्यक्ति' भारतीय संविधान, 1950 (COI) की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत सूची II की प्रविष्टि 4 के तहत राज्य सूची का विषय है।
कारागारों का प्रशासन और प्रबन्धन से सम्बन्धित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है।
आदर्श कारागार अधिनियम, 2023 – राज्यों के लिये मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में कार्य कर सकता है जिसे राज्यों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में लागू किया जा सकता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39ए – 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 39ए को जोड़ा गया था। यह समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता के प्रावधानों से सम्बन्धित है। इस में कहा गया है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार कार्य करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो। और वह प्रमुखतः यह सुनिश्चित करने के लिये कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा।"
सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (1978) के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कैदियों को निशुल्क कानूनी सहायता की आवश्यकता पर बल दिया और जेल प्रबन्धन में सुधार की सिफारिश की। न्यायालय ने कैदियों के मौलिक अधिकारों को बरकरार रखते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि दोषियों को भी कुछ सुरक्षा प्राप्त हो।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 – अनुच्छेद 21 को आम तौर पर 'जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करने वाला प्रक्रियात्मक मैग्नाकार्टा' के रूप में जाना जाता है। यह अनुच्छेद इस बात पर बल देता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम प्रशासक (1981) मामले में न्यायमूर्ति भगवती ने कहा कि अनुच्छेद 21 एक लोकतांत्रिक समाज में सर्वोच्च महत्त्व के संवैधानिक मूल्य का प्रतीक है।

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 – यह अधिनियम अपराधियों को कठोर अपराधी बनने के बजाय सुधरने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम अपराधियों को परिवीक्षा पर या सम्यक् भर्त्सना के बाद छोड़ देने का प्रावधान करता है। अधिनियम अपराधियों को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने की अनुमति देता है यदि उन्हें ऐसा अपराध करने का दोषी पाया जाता है जो मृत्यु अथवा आजीवन कारवास से दंडनीय नहीं है। अधिनियम पहली बार अपराध करने वाले ऐसे अपराधियों को सम्यक् भर्त्सना के बाद छोड़ने की अनुमति देता है जिन्हें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 379, 380, 381, 404, और 420 के तहत दोषी पाया जाता है अथवा जो किसी अन्य विधि के अधीन दो वर्ष से अधिक के लिये कारावास या जुर्माने अथवा दोनों से दंडनीय अपराध करने का दोषी पाया जाता है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436ए – यह धारा उस अधिकतम अवधि से सम्बन्धित है जिसके लिये किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा सकता है। यह इस बात पर बल देती है कि जहाँ किसी व्यक्ति ने इस संहिता में किसी भी कानून के तहत अन्वेषण, जाँच या विचारण की अवधि के दौरान (ऐसा अपराध नहीं जिसके लिये मृत्युदंड को उस विधि के तहत दंड में से एक के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) हिरासत में लिया गया है, उस विधि के तहत उस अपराध के लिये निर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि के आधे तक ज्यादा अवधि, उसे न्यायालय द्वारा अपने व्यक्तिगत बॉण्ड पर जमानत के साथ या इसके बिना रिहा किया जाएगा। बशर्ते न्यायालय, लोक अभियोजक को सुनने के बाद और इसके द्वारा लिखित रूप में कारण दर्ज करने के लिये, ऐसे व्यक्ति को उक्त अवधि के आधे से अधिक अवधि के लिये निरंतर हिरासत में रखने का आदेश दें या जमानत के साथ या बिना व्यक्तिगत बॉण्ड के बजाय उसे जमानत पर रिहा करें। एक और शर्त है कि ऐसे किसी भी मामले में जाँच या परीक्षण की अवधि के दौरान उस कानून के तहत व्यक्ति को उक्त अपराध के लिये दी गई कारावास की अधिकतम अवधि से अधिक के लिये हिरासत में नहीं लिया जाएगा।

विचाराधीन कैदियों का भविष्य –

- विचाराधीन कैदी कई प्रकार की असफलताओं के शिकार होते हैं जिसकी शुरुआत अनुचित अपराधीकरण से शुरू होती हैं। इस प्रक्रिया के पश्चात अत्यधिक गिरफ्तारियाँ, कमज़ोर जमानत सम्बन्धी अधिकार और लोक अदालतों के माध्यम से अपर्याप्त व अस्पष्ट रूप से मामले का निपटान होता है। ।
- इस सम्बन्ध में एक समग्र विधायी सुधार की आवश्यकता है जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का विस्तार करना हो।
- आरोपी विचाराधीन कैदियों के मामले में पुलिस जाँच की समय सीमा के सम्बन्ध में CRPC की धारा 167 के प्रावधानों का पुलिस और अदालतों दोनों द्वारा सख्ती से पालन किया जाना चाहिये।
- रिमांड की समय सीमा में स्वतः वृद्धि पर नियंत्रण करना होगा जो कि केवल अधिकारियों की सुविधा के लिये दिया जाता है। प्राधिकारियों की सुविधा मात्र हेतु अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक गारंटियों का अधिक्रमण नहीं किया जाना चाहिये।
- संशोधित वैधानिक प्रावधानों को लागू करके, विचाराधीन कैदियों के अधिकारों के बारे में न्यायिक निर्णयों, गिरफ्तारी और ज़मानत देने और जेल सुधारों पर विभिन्न समितियों की सिफारिशों को लागू करके विचाराधीन कैदियों की संख्या कम करने पर ज़ोर दिया जाना चाहिये।
- दोषियों की तुलना में कैदियों को भोजन, कपड़े, पानी, चिकित्सा सुविधाएँ, स्वच्छता, मनोरंजन और रिश्तेदारों तथा वकीलों के साथ मिलने आदि की बेहतर सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिये।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची –

1. https://www.nextias.com/ca/current-affairs-hindi/21-11-2024/
2. NCRB Data Till December 31, 2022
3. https://www.drishtijudiciary.com/hin/editorial/state-of-undertrials-in-india
4. https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/poor-state-of-undertrials
5. स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस